**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1499**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर**

**1499. श्री मो॰ नदीमुल हकः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार का देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आयोजित करवाने की कोई योजना है;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) आयोजित करवाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) क्या एनपीआर के आंकड़े एनआरसी के लिए आंकड़ों का मुख्य स्रोत होगा?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क) और (ख): सरकार ने भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग): नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निरूपित की गई नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने असम को छोड़कर देश भर में दिनांक 01 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2020 के बीच मकानसूचीकरण और मकानों की गणना के साथ जनसंख्या रजिस्टर तैयार और अपडेट करने का निर्णय लिया है।

(घ): प्रश्‍न नहीं उठता।

**\*\*\*\*\***